झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
सप्तम् (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 20.12.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	बोकारो में RCS योज्ना के तहत् कमर्शियल एयरपोर्ट के शुभारंभ हेतु करीब 3 वर्ष पूर्व भूतपूर्व मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार और भूतपूर्व नागर विमानन राज्यमंत्री, भारत सरकार द्वारा शिलान्यास किया गया था जिसके आलोक में वर्त्तमान में रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मोबाईल एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी आ चुका है एवं एयरपोर्ट निर्माण के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके है। अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूँ कि यथाशीघ्र बोकारो एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट सेवा प्रारंभ करवाया जाय, ताकि क्षेत्र के समुचित विकास के साथ-साथ जिन उद्देश्यों के लेकर बोकारो में कमर्शियल एयरपोर्ट का निर्माण करवाया गया है, उसको जनहित में पूर्ण किया जा सके।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
02-	डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0	दिनांक- 11.12.2021 को स्थानीय समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि कोरोना के दौरान तथा उसके बाद राज्य में बिक रही नकली दवाओं की जानकारी होने के बाद औषधि नियंत्रण-	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
		विभाग द्वारा राज्य के आठ दवा गोदामों को सील किया गया था जिनमें करीब 1.5 करोड़ की दवा बंद है। इन्हीं दवाओं के सैंपल सदर अस्पताल, राँची परिसर स्थित औषधि नियंत्रण कार्यालय में रखा गया था जिसे जाँच के लिए बाहर भेजा जाना था, परन्तु उक्त करोड़ों रुपये की दवाओं के सैंपल की चोरी हो गयी। कम्प्यूटर में रखे गये सैंपलों के ब्योरों से भी छेड़छाड़ की गयी। कम्प्यूटर के हार्ड डिस्क की भी चोरी हो गयी। यह घोर अनियमितता एवं लापरवाही का मामला है। इसमें कई लोगों की संलिप्तता प्रतीत होती है। अतः वर्णित मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराने हेतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	सुश्री अम्बा प्रसाद स०वि०स० श्री रामदास सोरेन स०वि०स० श्री राजेश कच्छप स०वि०स०	ओ०बी०सी० बहुल राज्यों में सबसे कम झारखण्ड में OBC समुदाय को मात्र 4% आरक्षण प्राप्त है जबकि पड़ोसी राज्यों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ओ०बी०सी (OBC) समुदाय को 27% और बिहार में 34% आरक्षण प्राप्त है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने पिछले वर्ष ही आरक्षण सीमा को 14% से बढ़ाकर 50% तक करने की अनुशंसा की है। अतः मैं छत्तीसगढ़ सरकार के तर्ज पर OBC समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने हेतु विधेयक लाकर OBC समुदाय को 50% आरक्षण दिलाने के लिए अध्यादेश पारित करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा
04-	श्री मथुरा प्रसाद महतो स०वि०स०	धनबाद जिलान्तर्गत टुंडी एवं पूर्वी टुंडी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष हाथियों द्वारा जान-माल एवं फसलों की क्षति कर दी जाती है जिससे ग्रामीण हमेशा भयभीत रहते है।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

01.	02.	03.	04.
		अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि टुंडी एवं पूर्वी टुंडी प्रखण्ड में हाथियों की सुविधा अनुरूप स्थान को चिन्हित कर उनके निवांस हेतु कोरिडोर का निर्माण कराया जाय। इस ओर सदन का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
05-	श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0	"निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1472, 18.06.2021 द्वारा साहेबगंज खासमहाल की जमीन पर वर्षों से आवासित गरीब/पिछड़े/आवास विहिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया। वर्णित योजना के तहत् 407 लोगों को गृह निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है, लेकिन आदिनांक गृह निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं की जा सकी है, जबकि पूर्व में साहेबगंज शहरी क्षेत्र में इन्हीं प्रकृति की जमीनों पर अवस्थित आवासों पर योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति सैकड़ों को दी गयी। साथ ही SPT Act को शिथिल करते हुए दान-पत्र वाले जमीन पर इन योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी जाती रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में ठीक इसी प्रकार उधवा प्रखण्ड के पंचायत श्रीधर दियारा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के स्वीकृत योजना के विपरित आवास विहिन लाभुकों को आदिनांक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं की गयी है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के उक्त आदेश को निरस्त करते हुए वर्णित जमीन पर पूर्व की भाँति सभी स्वीकृत लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना एवं उधवा प्रखण्ड में वर्षों से आवास-	नगर विकास एवं आवास

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		विहित स्वीकृति प्राप्त योजना के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ दिलायी जाय, जिस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 20 दिसम्बर, 2021 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-53/2021-..2536..../वि0 स0, राँची, दिनांक-18/12/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/ सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21
(विष्णु पासवान)
अवर सचिन,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-53/2021-..2536../वि0 स0. राँची, दिनांक-18/12/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

17/12/21
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

17/12/21

सुभाष/-